


माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, 1 म 0 प्र 0 1

रा. निगरानी प्रक 0 क्र 0 / 012



C.F
Rs. 20/-

R-385-II/13

रामानुष तनय अनुसूइया प्रसाद निवासी क्वाकरा, तहसील सिरमौर जिला
रीवा, म 0 प्र 0 0. ----- निगरानी कतां.

अधिवक्ता श्री ब्रह्मदेव
कुमार खिवाडी द्वारा
प्रस्तुत।

बनाम

- 01- श्यामवती बेवा रामसुमेर
- 02- राममनोहर - 1
- 03- राममसायण - 1 - तीनों के पिता स्व 0 रामसुमेर
- 04- रामसुनि - 1
- 05- रामसुलोचन तनय रामरूप
- 06- रामविशवाक्त तनय रामरूप
- 07- कान्तीपत्नी स्व 0 रामनिहोर
- 08- रामानन्द तनय स्व 0 रामनिहोर
- 09- सूर्यमणि तनय स्व 0 राममती
- 10- सावित्री बेवाराम भजन
- 11- राघवेन्द्र मिश्र - 1 - दोनों के पिता रामभजन मिश्र
- 12- ओम प्रकाश मिश्र - 1

सभी निवासी ग्राम क्वावाहा तहसील सिरमौर जिला रीवा,

1 म 0 प्र 0 1

----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अमर कलेक्टर महोदय
रीवा के निर्णय दिनांक 14.09.012 प्रक 0 क्र 0
58/अ-6/ निग./2003-2004

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म 0 प्र 0 भू र 0 त 0

निरंतर.. 2 पर

(Handwritten signatures and marks)

R 385-H/13 शीवा

शापाकुल / श्यामकवी

15-9-15 - आवेदक व उसके अधिलक्षता को
तीन बार प्रकाश लगावई गई, किंतु
वह सूचना परान्त लगाता कई पक्षों
से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे
- ऐसा उचित होता है कि वह प्रकरण
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

- अतः न. उ. प्र. शासक सं. की धारा 35
(2) के तहत प्रकरण अफन करनी में
कार्रवा किया जाता है।

- प्रकरण पंजी से कार्रवा टोक दी. द. हो।

सदस्य.